ायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी अनिता कुमारी खटीक (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

त्र संख्या–04/2024

त्र प्रविष्टि दिनांक–08.01.2024

। दिनांक–08.01.2025

ा पुत्री छोटू शाह जाति फकीर निवासी ग्राम डारडातुर्की तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रार्थिया

बनाम

ीलदार पीपलू जिला टोंक (राज0)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण मे संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है की भूमि आराजी ख0न0 2074, , 2089, 2614, 2661, 2664 कुल किता 06 कुल रकबा 2.8704 हैक्ट. वाके ग्राम डारडातुर्की, पटवार हल्का ातुर्की तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जिसमे प्रार्थिया का 1/7 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो रखा ार्थिया का नाम जरीनी पुत्री छोटू शाह जाति फकीर अंकित कर रखा है, जबकि प्रार्थिया का सही नाम विक नाम जरीना पुत्री छोटू शाह जाति फकीर है। प्रार्थिया के पिता का काफी वर्षो पूर्व स्वर्गवास हो चुका है उस समय पिता की विरासत का नामान्तकरण भरवाते समय प्रार्थिया के घर पर पुकारे जाने वाले नाम ी को ही दर्ज करवा दिया गया। जबकि प्रार्थिया के आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशनकार्ड, मतदाता ान पत्र आदि सभी दस्तावेज में प्रार्थिया का नाम जरीना पुत्र छोटू शाह जाति फकीर सही रूप से अंकित हो है। उक्त त्रुटी संहवन एवं लिपिकीय भूल के कारण हुई है। जिसको सही किया जाना न्यायोचित है। अतः दन मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि आराजी ख0न0 2074, 2075, 2089, 2614, 2661, 2664 कुल । 06 कुल रकबा 2.8704 हैक्ट. वाके ग्राम डारडातुर्की, पटवार हल्का डारडातुर्की तह0 पीपलू में स्थित आराजी ार्थिया के नाम गलत रूप से जरीनी पुत्री छोटू शाह जाति फकीर के स्थान पर जरीना पुत्री छोटू शाह जाति र अंकित करवाया जावे।

पत्रावली दर्ज पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू की गई तथा अप्रार्थी ीलदार पीपलू से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई है। तहसीलदार पीपलू ने तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दन किया की मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी ग्राम डारडातुर्की के जमाबंदी संवत् 2074–77 व 2077 से

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

थायी जमाबंदी वर्तमान खाता संख्या 293 मे प्रार्थिया का नाम जरीनी पुत्री छोटू शाह जाति फकीर सा.देह ातेदार के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थिया के आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, बैंक ास बुक मे प्रार्थिया का नाम जरीना पत्नि शकील ही दर्ज है, जो जरीना पुत्री छोटू शाह है। उक्त आराजीयात ार्थिया के विरासत के जरिये दर्ज है। ग्रामवासियो व प्रार्थिया के आस पडौस से पूछताछ करने पर उन्होने बताया ी जरीनी पुत्री छोटू शाह तथा जरीना पुत्री छोटू शाह दोनो नाम एक ही अर्थात प्रार्थिया के है तथा उक्त दोनो ाम से ही प्रार्थिया को पहचाना जाता है।

अधिवक्ता प्रार्थिया ने प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट पर बहस का निवेदन किया। बहस उभयपक्ष सुनी। धिवक्ता प्रार्थिया ने दौराने बहस प्रा0पत्र मे अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए बताया की भूमि आराजी ख0न0 074, 2075, 2089, 2614, 2661, 2664 कुल किता 06 कुल रकबा 2.8704 हैक्ट. वाके ग्राम डारडातुर्की, पटवार ल्का डारडातुर्की तह0 पीपलू जिला टोक मे स्थित है। जिसमें प्रार्थिया का 1/7 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज र रखा है। प्रार्थिया का नाम जरीनी पुत्री छोटू शाह जाति फकीर अंकित कर रखा है, जबकि प्रार्थिया का सही ाम वास्तविक नाम जरीना पुत्री छोटू शाह जाति फकीर है। प्रार्थिया के पिता का काफी वर्षो पूर्व स्वर्गवास हो का है तथा उस समय पिता की विरासत का नामान्तकरण भरवाते समय प्रार्थिया के घर पर पुकारे जाने वाले ाम जरीनी को ही दर्ज करवा दिया गया। जबकि प्रार्थिया के आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशनकार्ड, मतदाता हचान पत्र आदि सभी दस्तावेज मे प्रार्थिया का नाम जरीना पुत्र छोटू शाह जाति फकीर सही रूप से अंकित हो ा है। उक्त त्रुटी संहवन एवं लिपिकीय भूल के कारण हुई है। जिसको सही किया जाना न्यायोचित है। अत: वेदन मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि आराजी ख0न0 2074, 2075, 2089, 2614, 2661, 2664 कुल िता 06 कुल रकबा 2.8704 हैक्ट. वाके ग्राम डारडातुर्की, पटवार हल्का डारडातुर्की तह0 पीपलू मे स्थित आराजी प्रार्थिया के नाम गलत रूप से जरीनी पुत्री छोटू शाह जाति फकीर के स्थान पर जरीना पुत्री छोटू शाह जाति कीर अंकित करवाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार ने अपनी बहस में बताया की मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी ग्राम डारडातुर्की के माबंदी संवत् 2074–77 व 2077 से स्थायी जमाबंदी वर्तमान खाता संख्या 293 में प्रार्थिया का नाम जरीनी पुत्री टू शाह जाति फकीर सा.देह खातेदार के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थिया के आधार कार्ड, मतदाता हचान पत्र, जन आधार कार्ड, बैंक पास बुक में प्रार्थिया का नाम जरीना पत्नि शकील ही दर्ज है, जो जरीना त्री छोटू शाह है। उक्त आराजीयात प्रार्थिया के विरासत के जरिये दर्ज है। ग्रामवासियो व प्रार्थिया के आस डौस से पूछताछ करने पर उन्होने बताया की जरीनी पुत्री छोटू शाह तथा जरीना पुत्री छोटू शाह दोनो नाम एक अर्थात प्रार्थिया के है तथा उक्त दोनो नाम से ही प्रार्थिया को पहचाना जाता है।

हमने पत्रावली व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, नआधार कार्ड, बैंक पास बुक बडौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक, सरपंच ग्राम पंचायत डारडातुर्की द्वारा जारी ाण पत्र, साक्ष्य शपथ पत्र पप्पू पुत्र फकरू शाह जाति फकीर निवासी ग्राम डारडातुर्की, साक्ष्य शपथ पत्र नूर पुत्र टू शाह जाति फकीर निवासी ग्राम डारडातुर्की तह0 पीपलू व तहसीलदार पीपलू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

वलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। उक्त अवलोकन से स्पष्ट हैं की प्रार्थिया का शुद्ध नाम
रीना पुत्री छोटू शाह जाति फकीर है, जबकि भूमि आराजी ख0न0 2074, 2075, 2089, 2614, 2661, 2664 कुल
ता 06 कुल रकबा 2.8704 हैक्ट. वाके ग्राम डारडातुर्की, पटवार हल्का डारडातुर्की के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थिया
। नाम जरीनी पुत्री छोटू शाह जाति फकीर दर्ज रिकॉर्ड है, जो त्रुटीपूर्ण हैं। अतः उक्त वर्णित आराजीयात के
जस्व रिकॉर्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण नाम **जरीनी पुत्री छोटू शाह जाति फकीर** के स्थान पर **जरीना पुत्री छोटू**
ाह जाति फकीर हि0 जमाबंदी अनुसार दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय आज दिनांक 08.
.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से
म हो एवं नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो।

(अनिता [illegible] खटीक)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner